

मेरे द्वारा दिनांक 18.02.2023 को गाजियाबाद जाने के लिए सरकारी वाहन संख्या UP70AG-2010 से जाने हेतु अनुमति पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त अनुक्रम में कुल 360 कि.मी. गाजियाबाद जाने व आने के लिए व माह फरवरी 2023 में स्थानीय प्रयोग हेतु 84 कि.मी. की यात्रा की गयी। इस प्रकार कुल 444 कि.मी. की निजी यात्रा माह फरवरी 2023 में की गयी है, जिसमें से 200 कि.मी. छूट माह फरवरी 2023 में काटने के उपरान्त 244 कि.मी. का किराया मु. 03 रूपये प्रति कि.मी. की दर से कुल 732/- रूपये भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 21.02.2023 को चालान संख्या BL00021 से जमा कर दिये गये हैं।
जमा की गयी धनराशि के बैंक चालान की प्रति संलग्न है।

कोषागार प्रपत्र - 209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2
प्रपत्र संख्या 43ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) संस्था के नाम धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम
- पता

भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा मथुरा
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रधान परिवार न्यायालय, मथुरा

- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

शासकीय वाहन प्रयोग व्यय राशि
उत्तर प्रदेश सरकार

- चालान की सकल राशि
- चालान की निबल राशि
- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :

007060800050000

- लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट का कोड

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक	उप-शीर्षक	व्योरेवार शीर्षक	धनराशि(अंको में)
0070	60	800	05	0000	Rs 732/-

धनराशि (शब्दों में) (सात सौ बत्तीस रुपये मात्र)

योग Rs 732/-

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय, मथुरा

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या : BL00021

